

pan>

Title: Introduction of the Rickshaw Pullers and Roadside Mechanics (Freedom to Earn Livelihood) Bill, 2015.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरताव करता हूँ कि निर्धनताग्रस्त और बेरोजगार युवक-युवतियों और अन्य नागरिकों को निर्भय होकर आजीविका अर्जित करने और अपने आश्रितों का भरण-पोषण करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस और स्थानीय निकायों के कार्मिकों को औजार, कलपुर्जे, माल, साइकिल रिवशा, गाड़ी आदि को जब्त करने या इसे ले जाने से प्रतिबन्धित कर साइकिल रिवशा और गाड़ी चालकों और सड़क किनारे बैठे मैकेनिकों को आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता देने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for complete freedom to earn livelihood to the cycle rickshaw and cart pullers and roadside mechanics by prohibiting the local police and personnel of local bodies from impounding or taking away the tools, wares, stuff, cycle rickshaw cart, etc., so as to enable the poverty stricken and unemployed youth and other citizens to earn their livelihood without fear and feed their dependant families and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.52 hrs